**स्त्री रुग्णालय, बसमत, जि.हिंगोली येथील नवनिर्मित ८२ अस्थाई पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.**

**महाराष्ट्र शासन**
**सार्वजनिक आरोग्य विभाग**
**शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१५/प्र.क्र.१०९/आरोग्य-४**
१० वा मजला, कॉम्पलेक्स बिल्डींग,
जी.टी.हॉस्पिटल आवार, मुंबई.
तारीखः २७ एप्रिल, २०१५.

**वाचा**

१) **शासन निर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः मविपॅ -२००७/प्र.क्र.३४१/०७/आ-४, दि.६.०२.२००८**
२) **शासन निर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः डीएचसी -३०१०/प्र.क्र.१८८/आ-४, दि.२.०२.२०१३**
३) **शासन निर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः अपदे-२०१४/प्र.क्र.२२८/आरोग्य-४, दि.२५.११.२०१४.**
४) **शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/१५/वित्तिय सुधारणा-१, दि.२०.०२.२०१५.**
५) **सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-३/टे-५/स्त्रीरुबसमत/अपदे-८२/सन२०१५-१६/२०४०-४१/१५, दि.१६.०२.२०१५.**

**प्रस्तावना**

मराठवाडा विकास कार्यक्रमांतर्गत बसमत, जि.हिंगोली येथे स्त्री रुगणालयाची स्थापना करण्यासा संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर स्त्री रुग्णालयाकरीता संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये ८२ अस्थाई पदांची निर्मिती करण्यास आली आहे. सदर ८२ अस्थाई पदांचा विभागाच्या आकृतीबंधात समावेश झाला नसल्याने संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये दि.१.०३.२०१४ ते दि.२८.०२.२०१५ या कालावधीपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. या पदांना दि.१.०३.२०१५ ते दि.२९.०२.२०१६ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय**

स्त्री रुग्णालय, बसमत, जि.हिंगोली येथील सोबतच्या विवरणपत्रातील एकूण ८२ अस्थाई पदांना सदर पदांबाबत यापुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करताना पदांच्या आढाव्याच्या संबंधी पुर्तता करण्यात याव्यात या अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१५ ते दि.२९.०२.२०१६ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

या पदांवरील खर्च सन २०१५-१६ या आर्थीक वर्षाच्या मागणी क्रमांक आर-१ मधील मुख्य लेखाशीर्ष " २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७--पंचवार्षीक योजनांतर्गज योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६) (०१)-मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६) " करीता मंजुर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय,क्र.असंक-१००४/ प्र.क्र.१२ ( भाग-२ )( २००४)/ वित्तिय सुधारणा-१, दि.४.१०.२००४ व क्र.पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/१५/वित्तिय सुधारणा-१, दि.२०.०२.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागप्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०४२४१४०८१३८२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Sanjay D Kamalakar

Digitally signed by Sanjay D Kamalakar
DN: CN = Sanjay D Kamalakar, C = IN, S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = Under Secretary
Date: 2015.04.27 17:50:13 +05'30'

**संजय कमलाकर**
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर ), मुंबई.
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे.
४. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा ), पुणे.
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर.
६. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र ( लेखा व लेखा परिक्षा ) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर.
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, हिंगोली.
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली.
९. वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालय, बसमत, जि.हिंगोली.
१०.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई.
११.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प ), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई.
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४ ).

सार्वजनिक आरोग्य विभाग शा.नि.क्र.अपदे-२०१५/ प्र.क्र.१०९/ आ-४, दि.22/4/15 चे सहपत्र

## स्त्री रुग्णालय वसमत, जि.हिंगोली येथिल ८२ अस्थायी पदे

| अ. क्र. | प्रथम ज्या शासन निर्णयाने पदे निर्माण झोले त्याचा शासन निर्णय क्र. व दिनांक | पदनाम | पदांची संख्या | पदाची वेतनश्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | सा.आ.वि.शा.नि.क्र. डीएचसी-३०१०/ प्र.क्र. १८८/आ-३,२.०२.२०११ | वैद्यकीय अधिक्षक, वर्ग-१ | १ | १५६००-३९१०० (६६००) |
| २ | | वैद्यकीय अधिकारी (प्रसुती तंज्ञ), वर्ग-१ | १ | १५६००-३९१०० (६६००) |
| ३ | | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तंज्ञ), वर्ग-१ | १ | १५६००-३९१०० (६६००) |
| ४ | | वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण तज्ञ) वर्ग-१ | १ | १५६००-३९१०० (६६००) |
| ५ | | वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण शास्त्रज्ञ) गट-अ वर्ग-२ | २ | १५६००-३९१०० (५४००) |
| ६ | | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोतज्ञ) गट-अ वर्ग-२ | २ | १५६००-३९१०० (५४००) |
| ७ | | वैद्यकीय अधिकारी (स्त्रीरोग प्रसुती तज्ञ), गट-अ वर्ग-२ | ३ | १५६००-३९१०० (५४००) |
| ८ | | सहाय्यक अधिसेविका, वर्ग-३ | १ | ९३००-३४८०० (४४००) |
| ९ | | परिसेविका | ५ | ९३००-३४८०० (४३००) |
| १० | | अधिपरिचारीका | २० | ९३००-३४८०० (४२००) |
| ११ | | बालरोग परिचारीका | १ | ९३००-३४८०० (४३००) |
| १२ | | आहार तज्ञ | १ | ९३००-३४८०० (४२००) |
| १३ | | क्ष-किरण तंत्रज्ञ | २ | ९३००-३४८०० (४२००) |
| १४ | | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | २ | ९३००-३४८०० (४२००) |
| १५ | | औषध निर्माता | ३ | ५२००-२०२०० (२८००) |
| १६ | | भांडार तथा वस्त्रपाल | १ | ९३००-३४८०० (४२००) |
| १७ | | मुकादम वर्ग-४ | १ | ४४४०-७४४० (१६००) |
| १८ | | प्रयोगशाळा परिचर | १ | ४४४०-७४४० (१३००) |
| १९ | | क्ष-किरण परिचर, वर्ग-४ | १ | ४४४०-७४४० (१३००) |
| २० | | सहा. स्वयंपाकी | १ | ४४४०-७४४० (१३००) |
| २१ | | शस्त्रक्रियागृह परिचर | ३ | ५२००-२०२०० (१८००) |
| २२ | | कक्षसेवक | ८ | ४४४०-७४४० (१३००) |
| २३ | | सफाईगार | १० | ४४४०-७४४० (१३००) |
| २४ | | शिपाई, वर्ग-४ | ३ | ४४४०-७४४० (१३००) |
| २५ | | कार्यालयीन अधिक्षक, वर्ग-३ | १ | ९३००-३४८०० (४३००) |
| २६ | | वरिष्ठ लिपीक | २ | ५२००-२०२०० (२४००) |
| २७ | | कनिष्ठ लिपीक | २ | ५२००-२०२०० (१९००) |
| २८ | | बाहय रुग्ण लिपीक | २ | ५२००-२०२०० (१९००) |
| | | **एकुण पदे** | ८२ | |